भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3975
दिनांक 25.03.2025 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण के लिए निधि

†3975 .श्री राजीव रायः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में ग्राम पंचायतों के विकास के लिए विगत पांच वर्षों में प्रत्येक के दौरान आवंटित निधि का जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में कम्प्यूटरीकृत पंचायतों का जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश में कुल कितनी पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना शेष है; और

(घ) इन पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण न किए जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने की अनुमानित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क): पंचायत राज्य का विषय है और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायक और पूरक है, जिसमें योजनाओं के तहत निधि सहायता के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के कामकाज और विकास के लिए वित्त आयोगों के तहत अनुदान भी शामिल हैं। वर्तमान में, पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) का अनुदान 28 राज्यों में पंचायतों और पारंपरिक निकायों के सभी तीन स्तरों में ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLB) को प्रदान किया जाता है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान (i) केंद्रीय वित्त आयोग (XIV और XV) (ii) पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना और (iii) पंचायतों को प्रोत्साहन (आईओपी) जिसके अंतर्गत सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं की प्रदायगी में सुधार हेतु पंचायतों के श्रेष्ठ कार्य को मान्यता देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन करने वाली पंचायतों को वित्तीय प्रोत्साहन सहित पुरस्कार दिए जाते हैं, के तहत ग्राम पंचायतों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को आवंटित/जारी की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	14वें और 15वें वित्त आयोग के दौरान आवंटन	आरजीएसए	आईओपी
2019-20	10840.04	169.92	4.70
2020-21	9752.00	32.54	4.79
2021-22	7,208.00	83.08	4.78
2022-23	7,466.00	85.05	3.83
2023-24	7,547.00	84.126	1.75

केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान सीधे पंचायतों को नहीं, बल्कि राज्यों को जारी किए जाते हैं और राज्यों को पंचायत के सभी स्तरों को निधि जारी करने का अधिकार है। साथ ही, आरजीएसए की योजना के तहत, जिलों या ग्राम पंचायतों को सीधे धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है बल्कि राज्यों को जारी की जाती है जो योजना के उद्देश्यों के अनुसार विभिन्न प्रयोजनों के लिए पंचायतों पर खर्च करते हैं। वर्ष 2021-22 से आईओपी योजना के तहत, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रतियोगिताओं के तहत पुरस्कार जीतने वाली पंचायतों को निधि सीधे जारी की जाती है और इस तरह वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान उत्तर प्रदेश की पंचायतों को 10.36 करोड़ रुपये सीधे जारी किए गए हैं।

(ख)से(घ): मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश की सभी 57,691 ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर हैं। मंत्रालय में जिलेवार जानकारी का रखरखाव नहीं किया जाता है।

***